

: : कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :

: : कार्यालय-आदेश : :

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: F-19(187)EDU-2/KGBV/Dep./2025-32461 part 1 जयपुर दिनांक 19.11.2025 की पालना में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा चयनित निम्नांकित शिक्षकों की राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधीनस्थ मेवात बालिका आवासीय विद्यालय (कक्षा 6 से 8) में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है—

SN	App Id	Candidate Name	post	Subject	Present posted Place	District	Name of NSCB (MEWAT) (6-8)	Posting district	Subject
1	9210	NEERAJ KUMARI	Senior Teacher	Science	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSEN (224311)	CHITTAURGARH	MBAV MANAKPUR GOTHRI	ALWAR	Science
2	1439	PAPPI KHAN	Senior Teacher	Urdu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GRAM PANCHAYAT KE SAMNE SUKET (216664)	KOTA	MBAV CHANDOLI	ALWAR	Urdu

नोट :-

- समस्त संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि चयनित शिक्षिकाओं द्वारा केजीबीवी साक्षात्कार विज्ञप्ति के साथ जारी शपथ पत्र 100/- रुपये के स्टॉम्प पर नोटेरी करवाकर प्रस्तुत करने पर ही कार्यमुक्त किया जावे एवं कार्यग्रहण अधिकारी द्वारा उक्त शपथ पत्र को जमा करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
- जिन कार्मिकों को परियोजना में प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त हुए एक वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- ऐसी शिक्षिकाएं जिनकी नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत हुई है तथा उनका चयन शहरी विद्यालय हेतु हुआ है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- उक्त प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं का वेतन ब्लॉक के राजकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध आहरण किया जावेगा।
- उक्त प्रतिनियुक्त/पदस्थापित शिक्षिकाओं को यात्रा एवं योगकाल भत्ता देय होगा।
- उक्त चयनित शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की नीति क्रमांक प.19(12)शिक्षा-2/2020, जयपुर दिनांक 18.06.2020 एवं 30.08.2022 लागू होगी।
- उक्त सूची में अंकित शिक्षिकाओं की यदि बीएलओ/सहायक बीएलओ संबंधित कार्य हेतु ड्यूटी लगी हुई है, तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/रा.स्कू.शि.प./प्रतिनियुक्ति/2021/04872/पार्ट फाईल(1)

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर, जयपुर, कोटा संभाग।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग परिसर, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.11.30 15:50:49 IST
Reason: Approved



निदेशक